

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
हुक्म
में

21/6/23

पत्रावली

नम्बर
अहकाम
हुक्म
में

सिगहे से अधिवक्ता वादी के निवेदन पर तलब होकर प्रशासन गांवों के संग अभियान मरमी में पेश हुई। अधिवक्ता वादीयाएवं वादीयांस्वयं हाजिर। प्रतिवादी सं. 2 हाजिर। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उभयपक्ष के मध्य आपसी समझाइश हो जाने से वाद पत्रों आगे कोई कारवाई नहीं चाहते हैं। पत्रावली का अवलोकन किया मनन किया। वादीयां स्वयं अप- ने वाद पत्र में आगे कारवाई नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वादीयां का निवेदन उचित प्रतीत होने से वादीयां का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 R.A. 1955 को विज्ञेल में खारिज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्गति इन्ट्रान कि जाकर बाद आवश्यक कारवाई अभिलेखागार भेजी जावे। नि- र्णय खले मजमें आम प्रशासन गांवों के संग उच्च- न्याय विर मरमी में सुनाया गया।



(नीत-बरीदा)

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),
रायचूर